SHRI AJOY BISWAS: I introduce the Bill.

15.40 hrs.

TRADE AND MERCHANDISE MARKS (AMENDMENT) BILL*

(INSERTION OF NEW SECTION 88A ETC.)

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Trade and Merchandise Marks Act, 1958."

The motion was adopted.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: I introduce the Bill.

15.41 hrs.

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

(AMENDMENT OF SECTION 2 ETC.)

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh) : I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

The motion was adopted.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : I introduce the Bill.

DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF SECTION 2 ETC.)

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958."

The motion was adopted.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : I introduce the Bill.

DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF SECTION 2, ETC.)

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958."

The motion was adopted.

SHRI K. LAKKAPPA : I introduce the Bill.

15.43 hrs.

DEVDASI AND MURLI PRACTICE (ABOLITION) BILL - (*CONTD*)

MR. DUPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of

*Published in Gazette of India Extra ordinary Part II, Section 2 dated 8-4-1983.

the following motion moved by Shrimati Usha Prakash Choudhari on 5th November, 1982, namely :

"That the Bill to abolish the practice of Devdasi and Murli *in* India, be taken into consideration".

Prof. Satya Dev Sinha to continue his speech.

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : पिछले अवसर पर इस विधेयक पर बोलते हुए श्रीमती कृष्णा साही ने यह कहा था कि विधवा के साथ समाज का व्यवहार बड़ा निष्ठुर है। विधवा रंगीन साड़ी नहीं पहन सकती और उसको मांस मछली खाने की अनुमति नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि हमारे आचार-विचार पर हमारे खान पान का असर पड़ता है। जहां तक मांस-मछली के सेवन का प्रश्न है, इससे हमारे मन में उत्तेजना आती है। भारतीय समाज में नारी पतिव्रता रही है और उसने अपने नारीत्व की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण रखने का जीवन में संकल्प लिया है। पिछले दिनों ऊर्जा राज्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह जी के यहां रात्रि भोज का आयोजन था। उस मौके पर श्रीमती कृष्णा साही के साथ मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला था। वे हमारे जिले से आती हैं, हमारे प्रदेश से आती हैं और एक संभ्रान्त परिवार से आती हैं। वे विधवा हैं। उन्होंने तर्क दिया था कि विधवा के प्रति समाज बड़ा निष्ठुर है।

समाज का ऐसा अंकुश नहीं है कि विधवा को रंगीन साड़ी पहनने के लिये और मांस-मछली खाने के लिए अनुमति नहीं दें। लेकिन भोज के अवसर पर मैंने उनसे आग्रह किया कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी। उन्होंने कहा कि मैं शाकाहारी हूं। होना तो यह चाहिए था कि वे शाकाहारी नहीं मांसाहारी होतीं, मछली का सेवन करतीं। लेकिन कहने में और करने में भिन्नता और समाज पर आरोप लगाना, यह अवांछनीय है।

श्री हरीश रावत : बिहार में ऐसा ही चलता है।

प्रो० सत्यदेव सिंह : उत्तर प्रदेश हमें प्रेरणा देता है जहां तीर्थराज, प्रयाग और काशी जैसी पवित्र नगरी हैं। हमारे समाज में जिस तरह की मुरली प्रथा है वह एक कलंक है और घोर अपमानजनक बात है। एक तरफ तो हम सभ्य और सुसंस्कृत कहे जाते हैं और दूसरी तरफ नारी का इतना अपमानमय और निंदनीय स्थान हो। मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपनी कविता में नारी का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है।

"अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी
आंचल में है दूध और आंखों में पानी"।

आज हमारे सुसभ्य और सुसंस्कृत समाज का यह आग्रह है कि नारी के मर्यादित जीवन को हम और ऊंचा उठाएं। अनादिकाल से ही हम नारी को अर्धांगिनी कहते हैं और उसका एक विशिष्ट स्थान है। जब तक नारी को किसी पवित्र यज्ञ में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था तब तक वह यज्ञ सफल नहीं होता था। नारी की कितनी मर्यादा और महिमा हमारे समाज में है। स्वतन्त्र होने के बाद भी हमने देखा कि सरकार में चाहे राजकुमारी अमृत कौर हों या श्रीमती सरोजिनी नायडू, उनका एक विशिष्ट स्थान रहा है। अपना मूर्धन्य स्थान ग्रहण करने वाली हमारे राष्ट्र की प्रधान मंत्री ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में अपनी एक भूमिका अदा की है। इससे ऐसा लगता है कि अतीत से लेकर और आज तक हमारे समाज में नारी का कितना महिमामय और गौरवपूर्ण स्थान है। जब समाज में ऐसी अमा-

नवीय स्थिति है तो इसका अविलम्ब अन्त होना चाहिए । अवचेतन, अर्धचेतन या परम्परा से वशीभूत होकर इस प्रकार की प्रथा को अपने बीच देखते हैं तो यह प्रथा हमारे लिए सर्वथा अग्राह्य है । इस की हम निन्दा और भर्त्सना करते हैं । सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार का विधेयक लाकर समाज में नारी का ओजपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान अक्षुण रखें । इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी के विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, सही मायने में यह समाज और धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है । आदिवासी और मुरली प्रथा को तमिलनाडु में कानूनी तौर पर अवैध करार दे दिया गया है । लेकिन कानून का इम्पलीमेन्टेशन आज तक नहीं हुआ । किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यह प्रथा कुछ प्रान्तों में चली आ रही है । मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह प्रथा कुछ प्रान्तों में है । उड़ीसा और आन्ध्र में हैं, लेकिन वहां इस पर कोई कानून नहीं है । कर्नाटक में तो कानून बना दिया गया लेकिन व्यवहारिक रूप में कहीं भी यह कानून लागू नहीं है । इम्मारल ट्रैफ़िक एक्ट बना फिर भी देश में वैश्यावृत्ति हो रही है और कितनी अभिशाप से व्याप्त महिलायें अपना नरकीय जीवन मजबूरी में व्यतीत कर रही हैं । कानून बेकार पड़ा हुआ है और उसको बेकार बनाने के लिए तरह तरह के गलत तरीके अपनाए जाते हैं । उस इम्मारल ट्रैफ़िक एक्ट के मातहत जिन महिलाओं का उद्धार किया जाता है, उनको जब रैस्क्यू करके रेस्क्यू होम्स में भेजा जाता है । तो वहां उनकी हालत और भी खराब होती है आपको याद होगा आगरा का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि रैस्क्यू होम की हालत की जांच की जाय । पता लगा कि वहां की हालत तो बहुत ही दयनीय है, अच्छी भली महिलाएं वहां रहने के बाद पागल हो गयीं । मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि कानून बनना चाहिए क्योंकि यह कुप्रथा देश के लिए एक अभिषाप और कलंक है, जहां धर्म के नाम पर ऐसी स्थिति हो सरकार और समाज उसके लिए कुछ व्यवस्था करे जो कि कारगर हो । अगर समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तो यह हमारे लिये शर्म की बात है । इस लिए मैं चाहूंगा कि ऐसा कानून लाये, इम्मारल ट्रैफ़िक ऐक्ट के अन्तर्गत ही लाया जाय और उसमें ऐसी व्यवस्था निहित हो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैश्यावृत्ति के लिये जो काम किया जाता है उसको सक्षम तरीके से रोका जाय । अंधविश्वास के वशीभूत होकर देवदासी के नाम पर कुछ लोग अपनी बच्चियों को दे देते हैं और फिर धर्म के तथाकथित ठेकेदार उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और बाद में ऐसी महिलाओं को बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में पहुंचा दिया जाता है, ऐसी स्थिति को रोका जाय । इसमें एक प्रश्न और आ जाता है इम्मारल ट्रैफ़िक ऐक्ट में इतनी खामियां हैं कि लोग पकड़े जाते हैं और उनको जेल मिल जाती है और रैस्क्यू होम में उस महिला की बदतर हालत हो जाती है, और आखिर में आ कर वह महिला कोई ऐवीडेंस कोर्ट में नहीं दे पाती है । इसलिए सामाजिक और सरकारी, दो प्रश्न उठते हैं और सरकार को चाहिए कि इनके पुनरुद्धार के लिए ऐसी योजना बनाये, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय, समाज में उनको पुनःस्थापित करने की व्यवस्था हो तभी इस कुप्रथा को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं । यदि आपने ऐसा नहीं किया तो केवल कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, और उनका उद्धार नहीं होगा, और जो इस तरह की गन्दगी फैलाना चाहते हैं वह फैलाते रहेंगे । इसलिये एक सूक्षम कानून इस-

मारल ट्रैफ़िक ऐक्ट को संशोधित करके भी लाया जा सकता है जिसको सारे देश पर लागू किया जाय ।

वैसे मैं माननीया सदस्या के बिल का स्वागत करता हूं, लेकिन सरकार को चाहिये वह संशोधन कर के कोई ऐसा सक्षम बिल लाये जिससे यह देश के अन्दर जो बदनाम धन्धा लगा हुआ है यह समाज से मिट सके और धर्म के नाम पर जो बीभत्स रूप में महिलाओं का शोषण हो रहा है यह रुक सके । सरकार को ऐसा कोई सक्षम कानून लाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें उनके बच्चों के रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था हो, सरकार को ऐसी कोई योजना बनानी चहिये । जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करना चाहता उन्हें पुनः प्रतिष्ठित कराने के लिए सरकार और समाज को अगुवाई करनी चहिए ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष जी, देवदासी और मुरली प्रथा को समाप्त करने से सम्बन्धित जो विधेयक श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने प्रस्तुत किया है इसके लिये मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि इतने ग्रहम् विषय पर इस सदन के सामने अपने विचार रखे हैं । देवदासी और मुरली प्रथा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे अगर मैं यह कहूं कि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर कलंक है तो शायद बुरी बात नहीं होगी, धर्म की आड़ में यह प्रथा पनपती चली आ रही है ।

पूरे देश में ऐसा कोई सूबा, प्रान्त या जगह नहीं है, जहां इस तरह की प्रथा किसी न किसी रूप में विराजमान न हो लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र, गोवा और उड़ीसा में खासतौर से यह प्रथा बुरी तरह से प्रचलित है । अगर यह कहा जाये कि आज़ादी के बाद भी इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है तो यह बात अपनी जगह पर सही है ।

एक जमाना था, जब हम गुलाम थे, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद जब हमे आभास हुआ कि हम भी संसार में कुछ हैं तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिये कम-से-कम कुछ प्रभावी कदम हमें उठाने चाहियें थे । कुछ लोगों का इरादा कानून बनाकर इसको सांविधानिक रूप से समाप्त करने का है तो मैं समझता हूं कि संविधान में कानून की ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है, इसका सीधा सम्बन्ध जनता से और जनता की भावना से है । सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम इसे कुप्रथा और कलंक मानते हैं तो समाज-सेवी संस्थाओं को स्वयं ही जनता की राय लेकर इसे समाप्त करने के लिये आगे आना चाहिये ।

15.57 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALLCAR *in the Chair*]

देवदासी प्रथा की एक मिसाल मैं देना चाहता हूं । कर्नाटक के बेलगांव ज़िले में एक स्थान पर येलम्मा का मन्दिर है । वहां हर पूर्णमासी को बहुत-सी गरीब लड़कियों को देवदासी बनाकर लाया जाता है, लेकिन माघ मास की पूर्णमासी को 5, 6 हज़ार लड़कियों को वहां देवदासी बनाया जाता है । आज़ादी के बाद अब तक दो, ढाई लाख देवदासियां वहां बनाई जा चुकी हैं । इस तरह का रिवाज दूसरे स्थानों पर भी है ।

धर्म के नाम पर इस तरह की प्रथा पनपाने के लिये मैं उन लोगों को दोषी ठहराऊंगा । जो मन्दिरों की व्यवस्था करते हैं, चाहे वे वहां

के पंडे-पुजारी हों चाहे उनके दलाल हों, चाहे गांव के बड़े जमींदार हों - वे लोग देवदासियों को अपने भोग की व्यवस्था समझकर उनका प्रयोग करते हैं। नतीजा यह होता है कि जवानी में वह बाजार-हाट में अपना समय व्यतीत करती हैं और जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनका जीवन नरकीय और तरस खाने लायक हो जाता है।

हमारे देश में वैश्यावृत्ति भी एक ज्वलन्त समस्या है। जो लड़कियां, स्त्रियां वैश्यावृत्ति में चली जाती हैं वह उसे अपना पेशा बना लेती हैं और वह तो कुछ धन अर्जित कर लेती हैं जो कि उनके बुढ़ापे या संकट के समय काम आता है, लेकिन ये देवदासियां इस लायक भी नहीं रहतीं क्योंकि उनका सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से शोषण किया जाता है जिससे उनका जीवन स्पायल हो जाता है और वह किसी दीन की नहीं रहतीं।

16.00 hrs.

मेरा अनुरोध है कि पूरा सदन इस गंभीर समस्या पर गहराई से विचार करे, मनन करे और इस प्रथा को समाप्त करने के लिये जहां एक तरफ कानून बनाया जाये वहां सामाजिक संगठनों को भी इस कुरीति को दूर करने के लिये आगे आना चाहिये। बहुत से देशों में वैश्यावृत्ति को कानूनी रूप दे दिया गया है। वहां प्रास्टीट्यूट्स को लाइसेंस दिये जाते हैं। लेकिन यह व्यवस्था भारत में नहीं है, और है भी, तो बहुत कम जगह पर। इस तरह की सामाजिक बुराइयों का असर अच्छे खानदान की बहन-बेटियों पर भी पड़ता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि वह स्वयं इस प्रकार का बिल लाए और उसको पास कराए, जिससे यह कुप्रथा खत्म हो।

मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को पार्टी-पालिटिक्स से ऊपर उठ कर, जात-बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ कर, इस बारे में एकान्त हो कर आगे आना चाहिए और इस तरह का कानून बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय के हों, हमें सामाजिक संगठनों के रूप में इस कुरीति के खिलाफ़ प्रचार करना चाहिए, जिससे उन महिलाओं की जिन्दगी बर्बाद होने से बच जाये, जो इस देश की अच्छी नागरिक बन सकती हैं और इस देश का नाम रोशन कर सकती हैं, और प्राचीन काल से चला आ रहा यह कलंक का टीका हमारे देश और समाज के माथे पर से मिट जाए।

यह बिल लाने के लिये मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद देता हूं। मुझे मालुम है कि एक प्राईवेट मेम्बर्ज़ बिल होने की वजह से यह पास नहीं होगा। लेकिन इसके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाएं प्रकट हुई हैं। इस सदन के माननीय सदस्य पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह पूरे देश की भावनाएं यहां पर ज़ाहिर हो रहीं हैं। इस लिये मेरा आग्रह है कि सरकार स्वयं इस तरह का बिल लाये और इसको सर्व-सम्मति से पास कराए, जिससे इस कुप्रथा को मिटाने के लिये एक प्रभावी कदम उठाया जा सके।

इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस बिल का समर्थन करता हूं।

*SHRI C. PALANIAPPAN (Salem): On behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam, I wish to extend my warm-hearted support to the Devdasi and Murli Practice (Abolition) Bill, which has been introduced by hon. lady Member, Shrimati Usha Prakash Choudhari.

* The Original speech was delivered in Tamil.

Sir, the system of Devdasi was introduced in the days of Kings and Princes who ruled different States in our country. The Devdasis were not instruments of pleasure. They were respected citizens of the Kingdom. They were also experts in dancing and music. Besides entertaining the Kings and Princes in the Palaces, they were singing and dancing in the Temples also since they were dedicated to the Gods. They had no financial problems. The Devdasis were not subjected to poverty.

As the years rolled by, when they started facing destitution, they were compelled to take to prostitution. I have no hesitation in saying that the Temples became the spring-board for castism and other social evils like prostitution. Realising that this social evil must be combated with legislative force also, in 1939 the Rajaji Government in the State of Madras accepted the Bill seeking the abolition of devdasis which piloted by Mrs. Muthulakshmi Reddy, the Member of Legislative Council, Madras.

The social circumstances reduced the legislative impact also after Independence. Prostitution became the escape route from the clutches of poverty. Unfortunately, even today the religious superstitution rules supreme in some parts of our country. In Shimoga district in Karnataka, there is a temple dedicated to the Goddess Yellamma. The devotees of this Goddess dedicate the eldest daughter of the family to the Goddess. In the Annual Festival of Yellamma, the virgin girls are taken naked in a procession to the Temple and after the dedication ceremony they are introduced to the preliminaries of prostitution. There is no moral binding on the man who takes the girl. The girl has also no legal claims on him for the children he produces through her. But, when her charm disappears the man absconds leaving her to the wolf of prostitution. In metropolitan cities of Bombay, Calcutta and Delhi there are red-light areas. In Delhi there is an Association of Dancing and Singing Girls in the G.B. Road. This Association is registered also. In big hotels of these cities, there are Cabaret dancers, another kind of sophisticated prostitution. The crushing poverty in the rural areas drives young girls to these centres of social evil in the country.

In addition, the women who commit petty crimes are sent to prison. There is no protection for them in the prisons. The male co-prisoners subject them to all kinds of atrocities. When they come out, the Police force also subjects them to their fancies. After that they take the naked colour photos of these women and send them to Arab countries. Some of them are shipped to Arbian countries also. The Government should ensure that proper protection is given to the women prisoners. They should be saved from the anti-social forces.

I would like to narrate here the legaey of Tamil Nadu. The Kings, Kanakan and Vijayan, were compelled to flee to Himalayas after insulting the women. But they were chased and caught there. They were made to carry huge stones to Tamil Nadu where they were used to carve the statue of Kannagi, commonly known as the Symbol of Purity of Womanhood in our country. In this country 40 crores of people are living below poverty line with an average daily income of 75 paise. This has been accepted by the Planning Commission. Naturally the women are compelled to eke their livelihood through other means. The misery of poverty drives them to prostitution. I refer to this because I want to emphasise the urgency for the economic upllftment of these downtrodden people. We cannot solve this only through social pressure and legislative pressure. The economic upliftment of our poor people should be given the top priority. No doubt the Immoral traffic Act should be suitably amended for eradicating this evil.

Before I conclude, I would also stress the need for having a programme of rehabilitation for the children of such women, born outside the wed-lock. They should not become the victims of neglect and callousness of the society.

I support the Bill of Mrs. Usha Prakash Choudhary.

MR. CHAIRMAN : The time for this Bill will be over by 16.17 hrs. What is the opinion of the House ? The Minister has to intervene in the debate and the Mover has to reply. By how much time shall we extend it?

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : By 45 minutes.

MR. CHAIRMAN : Both Shri Virdhi Chander Jain and Shri Kawat want to speak on this. The Minister would also take some time. We will conclude this by 17.00 hrs. That would be proper.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करके समाज में फैली इस कुप्रथा की ओर सारे देश का ध्यान आकर्षित किया है । हमारे देश में सामाजिक कुरीतियां हैं । इन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिये हमारे देश में बड़े बड़े नेता पैदा हुए और उन्होंने इनको मिटाने का प्रयास किया । पहले हमारे देश में सती प्रथा विद्यमान थी । उस प्रथा को मिटाने में राजा राममोहन राय ने बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा किया । आर्य समाज ने भी समाज सेवा का कार्य किया है । स्वामी दयानन्द जी ने इस देश में महत्वपूर्ण कार्य करके राष्ट्र के समाक्ष सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत किया । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों का आकर्षण राजनीतिक की तरफ है, समाज सेवा की ओर हमारा आकर्षण नहीं है । निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत ही आवश्यकता है । जब तक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता कार्य नहीं करते हैं, मैदान में नहीं आते हैं, तब तक ये कुरीतियां बन्द नहीं हो सकती हैं । हमारे इस देश में अन्ध विश्वास है । हमारे देश में धर्म का उपयोग इस प्रकार से किया जा रहा है, जिससे लगता है कि वह वास्तव में सही धर्म नहीं है । देवदासी की कुप्रथा एक प्रकार से सामाजिक कुप्रथा है । जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, अनूसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उन्हीं में ही यह कुप्रथा है । प्रश्न यह है कि यह कुप्रथा इनमें क्यों है ? पहले हमारे समाज का ढांचा इस प्रकार का था कि राजा, पुजारी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का शोषण करते थे । उनको दबा कर रखते थे । मन्दिर में कन्या को देव और देवता के नाम से समर्पित कर दिया और उस कन्या का किस प्रकार से भोग की वस्तु मानकर उपयोग किया जाए, यह हमारे समाज के लिए कलंक की बात है । इसके बारे में पहले ध्यान मैसूर के राजा का गया था, कर्नाटक की सरकार का गया, महाराष्ट्र की सरकार का गया । उन्होने कानून बनाए हैं और यहां भी विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इन कानूनों के बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । जब तक समाज में निष्ठावान कार्यकर्ता सामने नहीं आयेंगे, तब तक इस कुप्रथा की समाप्ति नहीं होगी ।

हमारे इस देश में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, वे हैं सिनेमा । उससे हिंसा की प्रवृत्ति को बल मिलता है । उससे सैक्स की कुप्रवृत्ति को बल मिलता है । मैं यह समझता हूं कि सिनेमा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन वह हम प्रयास नहीं कर रहे हैं । कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है । गवर्नमेंट को समाज की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की फ़िल्में बनानी चाहियें, ताकि इन कुरीतियों को निपटाया जा सके । यदि इस संबंध में सरकार प्रयास करती है, तो वह बहुत ही बड़ी सेवा होगी । इस देव-दासी कुप्रथा के लिये भी फिल्में बनाई जा सकती हैं । सती-प्रथा के बारे में भी फिल्में बनाई जा सकती हैं । दहेज कुप्रथा के बारे में भी फिल्में बनाई जा सकती हैं और फ़िल्में बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकती हैं । हमें हमारी

जनता को प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें रूढ़िवाद से निकालना होगा और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। तभी जाकर हम इस कुप्रथा को बन्द कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने कानून बनाया, तो कितने लोगों ने मुकदमें किये? बहुत ही कम मुकद्में किये गए हैं। मेरे ख्याल से एक भी मुकद्मा सामने नहीं आया है। इस प्रकार की कुप्रथा जिसमें कि हज़ारों आदमी माह की पूर्णिमा के दिन देवी को समर्पित करते हैं और हज़ारों लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करता है। यह समाज की बड़ी भारी कमज़ोरी है। इस प्रकार की कुप्रथाओं को मिटाने के लिये हमें प्रयास करनी चाहिए। मैं राजनीतिज्ञों से भी कहना चाहता हूं कि वे राजनीतिक क्षेत्र में तो काम करें ही, लेकिन उस के साथ उनको सामाजिक क्षेत्र में भी काम करना चाहिए तथा इन सामाजिक कार्यों को कर के उन्हें समाज की रचना में अपनी विशेष भूमिका अदा करनी चाहिये।

हम इतने स्वार्थी बन गये हैं कि हमारा कोई भी कार्य स्वार्थ से अछूता नहीं होता है। हममें निःस्वार्थ की भावना समाप्त हो गई है। हमने पहले भी नारी को सत्कार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। हमने अपने संविधान के अन्दर नारी को बराबर का स्थान दिया है, परन्तु इसका कार्यान्वियन करना एक महत्व का कार्य है और इस के लिए आवश्यकता है कि हम इस प्रथा को मिटाने के लिये, इस कुरीति को मिटाने के लिये समाज की अधिक से अधिक सेवा करें तथा इस प्रकार की समाजिक सेवा की टीम गांव-गांव में बने, नगरों में बने, और वे टीमें इस समाज के कार्य को अपने हाथ में लें तभी इस प्रकार कुरीति बन्द हो सकती है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता जी, मैं बहन ऊषा प्रकाश चौधरी जी को साधुवाद देता हूं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के सन्दर्भ में इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। वास्तव में हमारे देश के अन्दर जहां वर्षों से गरीबी का आधिपत्य रहा है। गरीबी के साथ-साथ अन्ध-विश्वास और अशिक्षा इसके मुख्य कारण हैं। आज हमारी सरकार का ध्यान गरीबी और अशिक्षा को दूर करने में लगा हुआ है और हम आशा करते हैं कि धीरे-धीरे जो सामाजिक अन्धविश्वास हमारे अन्दर व्याप्त हैं, समाज के अन्दर व्याप्त हैं, वे भी दूर होंगे। मगर इसके लिए ज़रूरत है कि हम राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ अपने देश के अन्दर सामाजिक आन्दोलन भी संगठित करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई में जहां राजनीतिक पक्ष उजागर किया, वहां सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ़ भी उन्होंने मुहिम प्रारम्भ की। लेकिन आज़ादी के बाद इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। हम ने अपने राजनीतिक और आर्थिक दर्शन पर बहुत काम करने की कोशिश की, मगर जो सामाजिक कुरीतियों का पहलू था उसको नकार दिया। आज कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ़ कुछ भी कहने का साहस करता है। हम बहुधा अपने स्वार्थ के कारण सामाजिक कुरीतियों पर हमला करने से कतराते हैं। यदि किसी मन्दिर का कोई मठाधीश अपने यहां किसी कुरीति को चलाता है, जैसे देवदासी प्रथा को चलाता है कि या इस तरह की कोई अन्य कुरीति या प्रथा को बढ़ावा देता है, तो ऐसे स्थानीय लोगों के खिलाफ़ हम कोई आन्दोलन संगठित नहीं करते हैं, या यह कहें कि राजनीतिक नेता संगठित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वह मठाधीश उस क्षेत्र में उनका

राजनोतिक प्रभाव कम न कर दें। इस लिये, सभापति महदोय, मैं आप के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ हम को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ़ भी प्रहार करना चाहिए। इस दौरान हमारी पार्टी ने इस पक्ष की ओर ध्यान दिया है - चाहे दहेज प्रथा के खिलाफ़ संघर्ष की बात हो या अन्य सामाजिक कुरीति के खिलाफ़ संघर्ष की बात हो, हमारी कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ कर काम कर रही हैं। इस प्रकार और पार्टियों के भी युवा संगठन हैं। वे पार्टियां भी और उनके युवा संगठन भी इस मामले में सहयोग करें। अगर सभी सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया जा सकता है। हम इस मामले में सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं।

हमारी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत से कानून बना रखे हैं। इनमें एक सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट भी है। इस एक्ट का इम्प्लीमेन्टेशन स्टेट गवर्नमेंन्ट्स के हाथों में है। इस कानून को लागू करने में स्टेट गवर्नमेंट्स कोई दिलचस्पी नहीं लेती है। इस एक्ट के तहत यदि कोई पकड़-धकड़ होती भी है तो बाद में छोड़ दिया जाता है। वे लड़कियां फिर वही काम शुरू कर देती हैं जिसको कि वे पहले करती थीं जहां इस एक्ट का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंन्टेशन होना चाहिये वहीं सैन्ट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों द्वारा उन लड़कियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिये जो कि इस इम्मोरल एक्ट में फ़स गई हैं।

मान्यवर, केवल कानून बना देने से भी इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। देवदासी लड़कियों या वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियों को वहां से ला करके और कुछ दिनों तक सुधार घरों में रखने के बाद फिर उनको छोड़ देंगे तो क्या समाज उनको अपनाने को तैयार होगा ? इस काम के लिए बहुत कुछ बजट भी रखा जाता है। लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। जितने भी आपके डेस्टीच्यूट्स होम हैं उनमें पहले से ही मठाधीशों का प्रभाव है। कुछ लोगों का उन पर आधिपत्य है। जो लड़कियां वहां आती हैं, वे उनसे और भी इम्मोरल काम कराते हैं। अपने स्वार्थ के लिए उन लड़कियों का प्रयोग करते हैं। जितना बजट इस काम के लिए रखा जाता है, उसका उपयोग ऐसी लड़कियों के सुधार के लिए न हो कर के चंद व्यक्तियों के सुधार के लिए होता है। सरकार इस कार्य के लिए जितनी भी राशि रखती है, जितनी भी मदद करती है, उस राशि के उपयोग में और मदद के संचालन में राजनौतिक कार्यकर्त्ताओं की भी मदद ली जानी चाहिए।

मेरा यह भी कहना है कि जितना रुपया सरकार इस काम के लिए अब खर्च कर रही है वह ना काफी है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। यह बहुत पुण्य का काम है। इस कार्य के लिए देश की राज्य सरकारों को भी मदद दी जानी चाहिए। अगर यह कार्य आप राज्य सरकारों पर छोड़ देंगे तो वे इस कार्य को करने के लिए आगे नहीं आयेंगी। वे पैसे की कमी का वहाना बना कर पीछे हट जाएंगी। इसलिए में माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि उनके मंत्रालय द्वारा जो राशि इस कार्य के लिए दी जा रही है वह बहुत कम है। इसको तत्काल बढ़ाने की ज़रूरत है।

इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय ऊषा जी ने एक सुझाव बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। इसमें

पुरुष की ज्यादा अहमियत है, नारी की उतनी अहमियत नहीं है। इसको हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। हमारे समाज में पुत्र या पुत्री के नाम के साथ पिता का नाम तो होता है लेकिन माता का नहीं होता। हम यह व्यवस्था कर दें कि अगर कोई लड़का या लड़की अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी लेना चाहे तो वह ले सकती है।

दूसरे जो लोग ऐसी महिलाओं के साथ शादी-विवाह करते हैं उनको सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन या पुरस्कार दिये जा सकते हैं। आजकल जो पुरस्कार की राशि है वह बहुत कम है। आप किसी को पांच सौ या एक हजार रुपये की राशि देते हैं वह बहुत कम है। फिर जो इन्सेन्टिव आपने घोषित किये हुए हैं वे ऐसे लोगों को नहीं दिये जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से और मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को दिये जाने वाले इन्सेन्टिव की राशि को बढ़ाया जाए और ऐसी महिलाओं के साथ शादी-विवाह करने वालों को और भी इन्सेन्टिव दिये जाएं, जैसे सरकारी नौकरी वगैरह में तरजीह आदि।

एक बार फिर मैं ऊषा जी को ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चैअरमेन साहब, यह जो देवदासी प्रथा के विरुद्ध बिल आया है, यह बड़ा अच्छा बिल है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि हिन्दुस्तान में 36 साल हो गये हैं फिर भी ऐसी चीजें चल रही हैं। जिन स्टेटों में यह चीजें चल रही हैं उन स्टेटों के लिये यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह हिन्दुओं में हर जगह नहीं है। जिन जगहों में यह है वहां वे लोग लड़कियों के साथ बदसुलूक करते हैं। लड़कियों के साथ इस तरह की बदसुलूकी का होना उन स्टेटों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत बुरी बात है।

मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब आप लोग अपना घर साफ नहीं कर सकते तो दूसरों का क्या भला करेंगे। हमारे चौधरी दलबीर सिंह जी मिनिस्टर हैं। क्या वे अपनी औरत को ले जाकर हरियाणा में किसी कुएं पर पानी भर सकते हैं। मैं 36 साल से जीतता रहा हूं। मेरा पूरा परिवार पढ़ा हुआ है। लेकिन आज भी मैं अपनी औरत को ले जाकर हरियाणा के किसी कुएं से पानी नहीं भर सकता हूं। यह हालत हिन्दू सोसायटी की है। लड़कियों को मारते हैं और हरिजनों के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं। क्या हिन्दुस्तान इसीलिये आजाद हुआ है?

आज आप सिक्खों को कहते हैं कि तुम अपने आपको हिन्दू कहो। लेकिन 15 करोड़ आदमी जो कहते हैं कि हमें हिन्दू मानो उनको आप हिन्दू नहीं मानते हैं। जिनके दम पर आपको वोट मिलते हैं और आप जिनके दम पर कायम हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं उस दिन भारत को आजाद समझूंगा जिस दिन को हरिजन लड़की प्रेसीडेंट होगी। आज उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आप भी हिन्दू हैं। आप देखिए कि गुरुद्वारों और मंदिरों में क्या हो रहा है। वहां पर राजनीति होती है और कोई बात नहीं होती।

ये लोग सिगरेट बीड़ियां पीते रहते हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने सिगरेट के मुतल्लिक कहा है मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। आप महात्मा गांधी की बात भी नहीं मानते हैं जिसने हिन्दुस्तान को आजाद कराया है। सिगरेट पीते हैं इसलिए मारे हुए हैं। महात्मा गांधी ने कहा है—

"I have a horror of smoking as of wines. Smoking I consider to be a vice. It deadens one's conscience and is often worse than drink in that it acts imperceptibly. It is a habit which is difficult to get rid of once it seizes hold of a person. It is an expensive vice. It fouls the breath; it discolours teeth and, sometimes, even causes cancer. It is an unclean habit.

Smoking is in a way greater curse than drink in as much as the victim does not realise its evil in time. It is not regarded as a sign of barbarism; it is even acclaimed by the civilised people. I can only say, lot those who can, give it up and set the example."

ये सिगरेट भी नहीं छोड़ सकते। आज समाज में औरतों की बुरी हालत है। अपने समाज को ठीक नहीं कर सकते तो औरों को क्या ठीक करेंगे। हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है। इनकी तो बुरी हालत है लेकिन अगर कोई और आगे आना चाहता है तो उसको भी नहीं आने देते हैं। वाजपेयी जी हैं, डा० कर्ण सिंह तो हिन्दुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। बड़ा प्रचार करते हैं। शंकराचार्य भगवान बने हुए हैं। भगवान मत बनो। आदमी बनो। भगवान हो तो कोई भगवान वाला काम तो करो।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह कैसा कानून बनेगा ? हमें शर्म आती है कि आप हिन्दुओं के कानून बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं उन्हें पता ही नहीं कि क्या कानून बन रहा है। यह बिल पास हो जायेगा लेकिन किसी की समझ में नहीं आयेगा।

सभापति महोदय : आपका टाईम हो गया है।

श्री सुन्दर सिंह : मैं असल में होम-अफेयर्स पर बोलना चाहता था, टाईम नहीं मिला। सोमवार को टाईम मिलेगा।

सभापति महोदय : मैंने आपको दो मिनट की बजाय पांच मिनट टाईम दिया है।

श्री सुन्दर सिंह : ठीक है, अब मैं बैठता हूं।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P.K. THUNGON) : I am thankful to the hon.Members who have taken part in this debate.

In all 19 Members have taken part in this debate including Shrimati Usha Prakash Choudhari. I must congratulate Shrimati Usha Prakash Choudhari for a very laudable objective behind the Bill.

Before I give my comments, I would like to recapitulate what the various Members have said as that would enable me to frame my comments.

Out of these 19 Members, the first Member was Shri Amal Datta who expressed optimism that the discussion of this Bill in this august House will create an atmosphere of protection to the helpless, particularly the helpless women of the country.

Shrimati Krishna Sahi also spoke and she expressed that this system was prevalent only in some parts of the country and she stressed what social reformers like Shri Raja Ram Mohan Roy had done to do away with such evils.

Shri R.L.P. Verma was of the opinion that the root-cause of this evils was based superstition, illiteracy and poverty.

Shri Girdhari Lal Vyas, who is not here, spoke in his own stout manner and pleaded strongly for opposing such a system and he cited example of how the society in Rajasthan opposed the Bandi system which has now been rooted out from the society of Rajasthan.

Shri Satyanarayan Rao has, as usual as very mature parliamentarian, very rightly pointed out that since the evil is prevelent

in some parts of the country only, those States which are affected mostly, if they enact, Acts and implement effectively, that will solve the problem in a very meaningful way than having a Central Bill.

Shri Satyanarayan Jatia spoke also about this Bill and was of the view that this was a social evil no doubt and that it should be rooted out.

Shri S. B. Sidnal said that the problem should be viewed from the angle of social backwardness, illiteracy and poor economic conditions.

Shrimati Pramila Dandavate who spoke very eloquently of course—she is not here-was slightly lenient in saying that such evils were the logical corollary of monogamy but at the same time, she deplored the inefficacy of the Acts which are already in the States and also the Central Acts.

Thereafter Mr. A.T. Patil spoke. He was of the opinion that the economic and moral problems should be eradicated because this evil was based on those. Then came Mr. B.D. Singh, he stated that it was a problem of superstition and that this superstition should be removed.

Another experienced social worker, Mrs. Brar, she is not also here—spoke at length and said in her own way that such a discussion in this august House itself would help in forming public opinion in the country, inside the House and outside the House, and would help this cause and that the womenfolk living in remote parts of the country and in very poor conditions should be safeguarded by the Government properly.

Then Mr. Satya Deo Singh stated that the evil was not prevalent in Bihar and added that it was not a national phenomenon. These hon. Members took part on 25th February.

About today, the hon. Members will recollect themselves. Shri Rajesh Singh spoke about the inefficacy of the existing law. Shri Chandra Pal Shailani said that the evil was prevalent in Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. that it was a social evil and that it should be rooted out,

Shri Palaniappan spoke in detail about the position in Tamil Nadu and said that it was a social evil and that it should be rooted out.

Shri Virdhi Chander Jain, who has now gone out, also said in his own way that such evil should be removed and he cited the examples of social reformers like Swami Dayanand Saraswati, Raja Ram Mohan Roy, etc.

The speaker who spoke last but one, Mr. Harish Rawat, has very forcefully said that the State Governments are not implementing the Acts properly and that they should tone up their machinery and try to improve implementation.

The last speaker was Shri Sunder Singh who spoke, in his own way of course, about the misuse of the religious places and the religious sentiments to exploit the womenfolk, not only the womenfolk but the weaker sections of the society, and he pleaded for rooting out this evil.

Coming to my own comments and conclusions, it is quite clear from the above statements of the hon. Members, that are of the main reasons for this evil is the poor economic condition of the people; this is a socio-economic and socio-religious problem, based on superstition.

Here I would like to mention that Mrs. Usha Prakash Choudhari herself has said that there are some girls who cannot have even oil to use for their hair and when their hair gets dirty, people start saying that she should be made a devadasi because Goddess Yellamma has made her hair dirty. This shows very clearly that economic backwardness is one of the main reasons for this evil system.

I would also like to mention at this stage that the Committee on Status of women in India in 1974-75 conducted a survey and they also came to the conclusion that the devadasi system existed because of economic reasons and this was confirmed

by the Tata Institute of Social Sciences, Bombay in one of their surveys.

Secondly, as many of the hon. Members have stated, this is not a nation-wide phenomenon. It is mostly prevalent in Maharashtra, Tamil Nadu, some parts of Orissa and Karnataka etc. Therefore, I do not think that at this stage, we need such a Bill at the central level. There are already laws to deal with this problem in some of the States. To cite examples-hon. Members have also cited examples - there is an Act known as the Bombay Devadasi Protection Act in 1934 in Maharashtra. There is another Act - Madras Devadasi (Prevention of Dedication) Act 1947. Karnataka Government has also enacted an Act in 1982.

Then, besides these, to give a wider umbrella to cover the evil of prostitution which can cover devadasis also there is the Suppression of Immoral Traffic Act in Women and Girls, 1957 which was amended in 1978 to make it more effective. Therefore, my point is that at this stage, we have these specific and special laws in States and I do not think that a central Bill as brought forward by the hon. Member is required. At the same time, I would certainly stress that in those States where we have these special laws existing, they should implement them effectively so that this social and age-old evil is rooted out very soon.

Lastly, with these words, I am rather constrained to request our good sister. Shrimati Usha Prakash Choudhari to kindly withdraw her Bill.

MR. CHAIRMAN : Can you enlighten this House whether after 1974-75 any survey has been made ?

SHRI P K THUNGON : I am not aware of any surveys after that. But the Committee on Status of Women in 1974-75 carried out a detailed survey particularly in those areas affected by devdasi and Murli practices and they have stated that economic condition was the main reason for which girls were dedicated to the Goddess. After that the Tata Institute of Social Sciences have carried out a survey which also confirmed this.

What I mean is that we shall need for this, as many of the hon. Members have stated, the co-operation of all sections of people and more so from the Hon. Members and particularly from the lady Members who shall have to be more active in reforming the society and also we shall have to take steps for education and employment so that the condition of these sections of people improves.

श्री वी० डी० सिंह (फूलपुर) : मंदिरों का अधिग्रहण कर के क्या सरकार खुद उनकी व्यवस्था नहीं चला सकती है ? उसमें क्या दिक्कत है ? वह पुजारियों को निकाल बाहर करे ।

SHRI P. K. THUNGON : There are so many mandirs-Yellamma and other mandirs. For instance, from the speech of Shrimati Usha Choudhari herself I would like to cite that in Thanjavur there were 400 Devdasis many years back and in Somnathpuram 500 Devdasis.

श्री वी० डी० सिंह : उसी का अधिग्रहण कीजिए ।

SHRI P. K. THUNGON : Yellamma is the name of the temple but it is the name of the goddess.

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस सदन में सभी पक्षों और दलों के सदस्यों ने मेरे इस बिल का बड़ा हार्दिक समर्थन किया है और इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूं । एक सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं की मूवमेंट में काम करने के नाते, और साहित्य में रूचि होने के कारण, देवदासियों का विषय बहुत समय से मेरे दिल में बसा हुआ था । जब यह बिल आया, तो हर कोई पूछता था कि यह प्रथा कहां है, क्या यह बहुत पुरानी प्रथा है, आदि । तो मैं खोज को निकली । आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि कई पत्रकारों और लेखकों ने

समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में देववासी के विषय को बड़े जोरदार ढ़ंग से उठाया है, जिससे उनका जीवन और उनकी व्यथा समाज के सामने आई है। उनका भी आभार मानना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूं।

देवदासियों की कहानियां बहुत पुरानी हैं, जो अब तक मंदिरों और बड़े बड़े महलों की दीवारों के बीच दबी हुई थीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साहित्यकारों की किताबों में छिपी हुई थीं। बरसों के बाद वे इस सदन में गूंज उठी हैं। दीवारों से दबी हुई उनकी चीखें आज इस सदन में सुनाई दी हैं। जो आंसू उन्होंने बरसों तक पाले थे, वे हमारी आंखों में आंसू ले आए हैं। मंत्री महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है कि वह उन आंसुओं को ऐसे ही न गंवाएं। उन्हें इस बारे में भी कुछ जिक्र करना चाहिए था।

हर एक समस्या और हर एक प्रश्न कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था बतायी जाती है। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ केवल आर्थिक कारणों से ही हो रहा है। समाज की व्यवस्था को कोई और बिगाड़े, समाज के माननीय नेता और राजनीतिज्ञ उसकी तरफ़ ध्यान न दें, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कानून न बनाए, बरसों तक उसको इस समस्या के बारे में मालूम भी न हो, बड़े बड़े धर्मगुरु उन लड़कियों का बाज़ार बनाएं, मगर महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता अपना परिवार छोड़ कर अपना व्यवसाथ छोड़ कर इस स्थिति को सुधारें और सामाजिक संस्थाओं को इसका ठेका लेना चाहिए। क्यों ? क्या वे उसके लिए पैदा हुए हैं ? क्या हमारा कोई फ़र्ज नहीं है ?

मैं मन्त्री महोदय और सदन को बताना चाहती हूं कि इन स्त्रियों के आंसू किसी दिन तूखान बन सकते हैं। बूंद सागर बनती है और सागर में तूफान उठते हैं। आज हरिजनों और दलितों की आवाज हमें जीने नहीं दे रही है। इसी तरह देवदासियों की समस्या भी कुछ दिनों बाद एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन जाती है।

मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में क्षेत्र की मर्यादा डाली है। मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूं। स्वतन्त्र भारत में कोई भी विषय रिजनल या स्टेट का नहीं बन सकता है। बरसों तक हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि अमुक प्रश्न प्राप्त का है, अमुक जगह लड़ाई, दंगा-फसाद हो रहा है, सेंटर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते रहे हैं कि उनसे राष्ट्र-व्यापी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस लिए इस प्रश्न को प्रान्त तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा आधार है।

हमारे संविधान के अनुसार यह विषय समवर्ती सूची में आता है। कुछ विषय केन्द्रीय सूची में आते हैं, कुछ राज्य सूची में आते हैं और कुछ विषय समवर्ती सूची में आ सकते हैं। यदि समाज में कोई शोषण है उससे संरक्षण देने का विषय समवर्ती सूची में आप ले सकते हैं और उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। आपने स्टेट्स के लिये कुछ कानूनों की बात बताई लेकिन हरएक स्टेट की स्थिति अलग है और स्टेट के कानून में लूपहोल्स होने की भी सम्भावना है। आपने बताया कि इतने कानून बनाए गए लेकिन एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। अगर महाराष्ट्र में कानून बन जाए तो हो सकता है महाराष्ट्र की सीमा के पार मध्य प्रदेश में देवदासियों को बनाना आरम्भ कर दिया जाए और फिर हम उनके पीछे पीछे कहां तक भागते रहेंगे ?

इसलिए मैं समझती हूं राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाना चाहिए।

मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ प्रान्तो से पत्र भी प्राप्त हुए हैं। जो लोग देवदासी संस्थाओं में काम करते हैं उन्होंने भेजे हैं। एक है श्री डी० वेंकटेश्वरा राव जो कि प्रेसीडेन्ट हैं ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र में इनको कलावंथुला संगम कहा जाता है। वे देवदासी के ही लड़के हैं। उन्होंने इसका इतिहास दिया है। उनके लेटर से मैं कुछ लाइनें उद्धत करना चाहती हूं। वे कहते हैं :

This community of Devadasi alias Kalavathuly community has been appealing to the Government to make the offonce cognisable, for the total eradication of this practice.

आगे चल कर उन्होंने कहा है :

According to the proposed Bill; any attempt to convert innocence women into Devadasis should be made a cognisable offence. Imprisonment for a period of 5 years and heavy fine must be awarded. If this Bill becomes an Act, it is bound to abolish Bogum Melams (Natch Parties) and prostitution. This Act will certainly improve the image of the community.

ऐसे काफी लेटर्स हमारे पास आए हैं। अगर समय हो तो मैं यहां पर उद्धत कर सकती हूं।

समवर्ती सूची के आधार पर आपने जो कानून बनाए हैं उनके कुछ उदाहरण मैं यहां पर देना चाहती हूं। 1955 में आपने अस्पृश्यता निवारण कानून लागू किया। हमें ऐसा लगा कि वह कानून कुछ कमजोर हैं तो 1977-78 में प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स ऐक्ट बनाया गया। हमारी यह भावना थी कि जो अछूत हैं उनका शोषण रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाना चाहिये। यह देवदासी भी कौन हैं? देवदासी के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, उनके साथ कोई शादी नही करता है और वे कुयें से पानी नहीं निकाल सकते हैं। उनकों रखेल का बच्चा बोला जाता है। ऐसी स्थिति में उनका क्या भविष्य हो सकता है? एक तरफ तो आप अस्पृश्यता निवारण के लिए कानून बना रहे हैं, रिजर्वेशन रख रहे हैं और दूसरी तरफ एक अछूत वर्ग को पुरःस्थापित कर रहे हैं। क्या इसको लेकर जब कोई पोलिटिकल समस्या खड़ी हो जायेगी तभी हम इसकी ओर ध्यान देंगे? जबतक कोई समस्या राष्ट्रीय रूप धारण न कर ले तब तक हम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मुझे माफ़ करेंगे, मैं कुछ गुस्से में बोल गई हूं। स्वतन्त्रता के बाद दो-तीन लाख देवदासियां बनाई गई हैं और उनसे कई लाख बच्चे पैदा हुए हैं।

मन्त्री जी को कानून बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं यहां पर कुछ सुझाव देना चाहती हूं। हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए संविधान के आर्टिकल (23) के अधीन कानून बनाने का प्रावधान किया गया है।

मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या भगवान को इन देवदासीओं को अर्पित करके, उनसे इस प्रकार का धन्धा कराना चाहिए? यह एक नमूना है, आपके सामने। हम आपसे महिलाओं की शोषण मुक्ति का अधिकार मांगते हैं। आज़ादी के बाद हम ने महिलाओं और उनके बच्चों की संरक्षण की अपेक्षा की है। उनके लिए कानून बनाने पर हम लोग सहमत भी हैं कि उनके लिए कानून बनाना चाहिये। फिर भी मेरी समझ में नहीं आता है कि मन्त्री महोदय को इस बिल को पास

करने में कठिनाई क्यों है। आपने बड़ी सावधानी से माननीय सदस्यों द्वारा रखी बातों का जबाब दिया है। सच्चाई यह है कि यह समस्या छः प्रान्तों में है। आपने सदस्यों की आधी बातों को सुना और आधी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। धन्धा बनाने के लिए कुछ दलाल लोग दूसरे प्रान्तों के इसको ले जाना चाहते हैं। यह समस्या बढ़ रही है, इसलिए आपको पूरे देश के लिए कानून बनाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए।

इन लोगों के सामने पुर्नवास की समस्या भी है। कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है, कमज़ोर रह जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले भाषण पर भी कहा था कि हमें उन लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए। देवदासी और उनके बच्चों के लिये आप कानून नहीं बनाना चाहते हैं, कहा जाता है कि यह स्टेट का मामला है। आप इस बिल को पास नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप को राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा सैल बनाना चाहिए, जो इनकी समस्याओं का निदान कर सके।

सदन में यदि किसी एक महिला के साथ बलात्कार होता है घण्टों सदन में चर्चा होती है। पूरी राज्य सरकार उसके पीछे काम करती है, पुलिस काम में लगती है और अखबार वाले बड़े-बड़े आर्टिकल्स निकालते हैं। महिलाओं के अपहरण और बलात्कार हम लोग कितना ध्यान देते हैं, लेकिन इस समस्या की ओर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई शार्ट-कट ढूंढ लिया है कि महिला को भगवान को अर्पित करो और बाद में उसका वैश्या के रूप में उसका उपयोग किया जाए। देश के बाहर भी उसकी बिक्री हो रही है। इस नरम सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और इस बिल को पास करने की इच्छा नहीं रखती है या उसको कमजोर महसूस करती है। उधर कानून बना होने के बावजूद भी कोर्ट में एक केस भी पेश नहीं होता है।

The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 956.

इस एक्ट के तहत भी एक को भी सजा नहीं हुई है। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि आप इस समस्या के निदान के लिए कानून नहीं बनाना चाहते हैं, महिलाओं को वैश्य बनाना चाहते हैं, तो बात अलग है। यदि आप उनका संरक्षण करना चाहते हैं, तो आपको कानून बनाना चाहिए। 1956 का कानून तो अब मिटाने के लायक हो गया है।

अभी-अभी एक सदस्य ने कहा कि इस में संशोधन होना ज़रूरी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिये सरकार की ओर से एक प्रभावी कानून ला कर उस में देवदासियों के लिये भी आप अलग से प्रावीज़न कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में आप से निवेदन करती हूं कि काफ़ी वर्षों के बाद देवदासियों के इस उपेक्षित वर्ग की आवाज यहां पहुंची है, इस लिये सरकार की ओर से कुछ न कुछ आश्वासन दिया जाना आवश्यक है, कम से कम इतना ही कह दें कि महिलाओं की खरीद-विक्री के काम को बन्द करने के लिये तथा इस तरह की प्रथा को बन्द करने के लिये हम कोई नया प्रभावी कानून बनाने की आशा करते हैं।

MR. CHAIRMAN : In the light of what she has said, would you like to say something Hon. Minister?

SHRI P. K. THUNGON : Nothing, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, may I ask the Hon. Member, who has moved this Bill whether she wants to withdraw the Bill or she wants to press it?

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : पहले इन को बोलने दीजिये ।

MR. CHAIRMAN: He does not want to say anything.

SHRI P.K. THUNGON: Let me say, Sir. I have listened with attention to the Mover and whatever points she has made in her concluding speech, the Government will certainly keep them in mind and the Government will consider all the valuable suggestions which she has made in respect of economic conditions of Devdasis, in respect of social reforms, in respect of religious reforms etc.

It is very rightly said by many of the Hon. Members' that it is not only the law which will solve such problems, but the social awareness of the whole society and full cooperation of the society is necessary. Not only cooperation, but a stout opposition to such an evil system of the society, is necessary.

With these words I would like to thank the Hon. Member and also would like to request once again my good sister and courageous sister to agree to withdraw the Bill.

SHRI S. B. SIDNAL (Belgaum) : Sir, I had mentioned in my speech whether the Government is considering to appoint a Commission?

MR. CHAIRMAN: Everything is over now.

Madam, what do you want? Do you want to withdraw the Bill?

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय के विचारों में काफ़ी परिवर्तन होने लगा है और वह हमारी समस्या को समझ गये हैं । उन्होंने बहन शब्द बोला है, इस देश में बहन देती आई है, इस लिये भाई को भी सोचना चाहिये । उन्होंने बहन बोल कर इस काम की ज़िम्मेदारी ली है । मुझे मालूम है – आप अपने से यहां कुछ डिक्लेअर नहीं कर पायेंगे, लेकिन जो आपकी कुलीग हैं, कैबिनेट है और हमारी नेता हैं, उन के साथ इस बारे में ज़रूर बात कीजिये । इस संघर्ष में आप को हमारा साथ देना चाहिये, अन्यथा यह संघर्ष दूसरे ढंग से उठ सकता है, और वे देवदासियां आप के पास आ सकती हैं ।

इस लिये मुझे विश्वास है कि आप इस के बारे में पूरा कानून सरकार के ज़रिये यहां लाने की कोशिश करेंगे । इन शब्दों के साथ में इस बिल को वापस लेना चाहती हूं ।

MR.CHAIRMAN: I would like to ask the Hon. Member whether she would like to withdraw the Bill?

SHRIMATI USHA PRAKASH CHOUDHARI : Yes, Sir; I would like to withdraw the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to abolish the practice of Devdasi and Murli in India."

The motion was adopted
The Bill was, by leave, withdrawn.

17.05 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF SECTION 3. ETC.)

MR. CHAIRMAN : Now Mr. Mundackal may move* for his Bill being taken into consideration.

*Move with the recommendation of the President.